छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 52/2006

श्री फिरोज खान,
पिता श्री सिकन्दर खान,
बागबाहरा वार्ड नंबर–07,
तहसील–महासमुंद ..... **अपीलार्थी**
जिला–महासमुंद (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी,
मुख्य नगर पंचायत अधिकारी,
बागबाहरा, तहसील व जिला–
महासमुंद (छत्तीसगढ़) ..... **प्रतिअपीलार्थी**

:: आदेश ::
(दिनांक 15 मई 2007)

श्री फिरोज खान अपीलार्थी के द्वारा जन सूचना अधिकारी, नगर पंचायत बागबाहरा को प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 24–11–2005 एवं 30–11–2005 के द्वारा मांगी गई जानकारी न दिये जाने तथा इसके विरूद्ध उप संचालक, नगरीय प्रशासन को की गई अपील पर कार्यवाही न होने के कारण छत्तीसगढ़ सूचना आयोग में द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

2/ अपीलार्थी ने उल्लेख किया है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत मुख्य नगर पंचायत अधिकारी, बागबाहरा से जानकारी चाही थी। जानकारी में यह चाहा गया था कि आवेदन पत्र में उल्लिखित नाली की भूमि सार्वजनिक है अथवा नहीं ? इस संबंध में नगर पालिका परिषद् के पत्र क्रमांक–245 दिनांक 02–07–2002 एवं क्रमांक–267 दिनांक 09–07–2002 की प्रतिलिपि भी चाही गई। मुख्य नगर पंचायत अधिकारी, बागबाहरा के द्वारा आवेदक को सूचित किया गया कि पत्र क्रमांक–267 दिनांक 09–07–2002 कार्यालय में उपलब्ध नहीं है एवं पत्र क्रमांक–245 दिनांक 02–07–2002 की छायाप्रति आवेदक को दी गई। आवेदक के द्वारा एक अन्य आवेदन पत्र में श्रीमती कारी बाई के द्वारा बेची गई जमीन की रजिस्ट्री की छायाप्रति आदि की जानकारी मांगी। नगर पालिका अधिकारी के द्वारा एक पंचनामा भी बनाया गया जिसके अनुसार पत्र क्रमांक–267 दिनांक 09–07–2002 कार्यालय में उपलब्ध नहीं होना बतलाया। एक अन्य पंचनामा दिनांक 19–02–2006 में वादग्रस्त स्थल का पंचनामा बनाया गया, जिसमें उल्लेख किया गया कि उक्त नाली इब्राहिम पिता सकुल के खाते की भूमि खसरा नंबर–30/12 प्लाट नंबर–21 एवं 22 पर पंचायत के कार्यकाल में बनाये थे। इसकी प्रति भी आवेदक को दी गई। अपीलार्थी को पत्र दिनांक 19–02–2007 के द्वारा यह भी सूचित किया गया कि नाली का निर्माण ग्राम पंचायत लालपुर, बागबाहरा के कार्यकाल में हुआ है तथा इसे सार्वजनिक ही माना

जावेगा। नगर पालिका अधिनियम–1961 की धारा–207 के अंतर्गत नाली को अन्य व्यक्तियों की भूमि में से ले जाने का अधिकार नगर पंचायत को है।

3/ आयोग के द्वारा दिनांक 12–07–2006 को रिकार्ड ढूंढकर आवेदक को उपलब्ध न कराने के फलस्वरूप जन सूचना अधिकारी को 20,000/– रुपये की शास्ति का कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। तत्कालीन जन सूचना अधिकारी श्री इंद्रेश्वर सिंह के द्वारा कारण बताओ सूचना–पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया। उसके द्वारा जवाब में बतलाया गया कि अपीलार्थी को कार्यालय में उपलब्ध सभी जानकारी दे दी गई।

4/ दोनों पक्षों के तर्कों को सुना गया तथा प्रस्तुत अभिलेखों पर विचार किया गया। प्रकरण से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी वादग्रस्त भूमि पर बनी नाली के संबंध में स्वत्व संबंधी जानकारी चाहता है। चूँकि नगर पालिका के अभिलेख में यह स्पष्ट रूप से अंकित नहीं है कि उक्त भूमि पर बनी नाली सार्वजनिक है अथवा व्यक्तिगत भूमि पर नाली बनाई गई है। चूँकि नाली ग्राम पंचायत, बागबाहरा के कार्यकाल में बनाई गई थी, अतः स्पष्ट रूप से अभिलेख उपलब्ध नहीं होना मुख्य नगर पालिका अधिकारी, बागबाहरा के द्वारा बतलाया गया। सूचना का अधिकार के अंतर्गत आयोग स्वत्व के निर्धारण करने के संबंध में निर्देश अथवा निर्णय नहीं दे सकता है, केवल अभिलेखों से संबंधित सूचनाएँ ही दिलाये जाने का क्षेत्राधिकार आयोग को है। कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख तथा बनाये गये पंचनामा आदि की प्रति आवेदक को दी जा चुकी है। केवल पत्र क्रमांक–267 जो कि कार्यालय में उपलब्ध होना नहीं बतलाया गया है, वह नहीं दिया जा सका।

5/ उपरोक्त से स्पष्ट है कि कार्यालय में उपलब्ध जानकारी अपीलार्थी को दी गई है। अतः यह नहीं माना जा सकता कि अपीलार्थी को जन सूचना अधिकारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, बागबाहरा के द्वारा जानबूझकर अथवा द्वेषवश जानकारी नहीं दी गई। अतः अपीलार्थी को जारी किया गया कारण बताओ नोटिस निरस्त किया जाता है। अपीलार्थी को उपरोक्त अभिलेखों की जानकारी दी जा चुकी है, अतः अपीलार्थी की यह अपील अस्वीकार की जाती है। अपीलार्थी नाली की भूमि के स्वामित्व के संबंध में सक्षम न्यायालय में अपना सत्य सिद्ध करने के लिये वाद दायर कर सकता है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त